



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936

No. 647]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि.869(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं निम्नलिखित का अधिक्रमण करते हुए और निम्न नियम को —

- (i) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1985, जहां तक उनका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-3, कम्पाउंडर, माली, वाटरमैन, चपरासी, सफाईवाला, चौकीदार-सह-फार्म मेट, दफ्तरी, रसोइया, फील्डमैन और मेट-I पदों से है;
- (ii) उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' भर्ती नियम, 1989, जहां तक उनका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-3, कम्पाउंडर, चौधरी, फील्डमैन, रसोइया, चपरासी या संदेशवाहक, सफाईवाला, वाटरमैन, चौकीदार-सह-फार्म मेट और माली पदों से है;
- (iii) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गार्लेंदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' भर्ती नियम, 1995, जहां तक उनका संबंध मुख्य-माली पद से है;
- (iv) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000, जहां तक उनका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-3, कम्पाउंडर, मुख्य माली, दफ्तरी, रसोइया, चपरासी, वाटरमैन, चौकीदार-सह-फार्म मेट, माली और सफाईवाला पदों से है;
- (v) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बिस्वानाथ चारियाली समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पदों हेतु भर्ती नियम, 2005, जहां तक उनका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, चपरासी, संदेशवाहक, सफाईवाला और चौकीदार-सह-फार्म मेट एवं माली पदों से है;

को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में, निम्नलिखित समूह 'ग', गैर-तकनीकी पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गैर-तकनीकी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।
(2) राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. प्रारंभिक गठन.— लेखाकार, आशुलिपिक श्रेणी-II, वरिष्ठ हिंदी टंकक एवं हिन्दी टंकक पदों पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए पदधारी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के ज्ञापन सं. 3-1/2003-स्था., तारीख 24 जुलाई, 2003 और 1-6/92-स्था-412, तारीख 31 जुलाई, 2008, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के ज्ञापन सं. 1-9/2009-स्था., तारीख 26 फरवरी, 2013, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के ज्ञापन सं. 3-9/2009-पी.एफ./824, तारीख 24 अगस्त, 2010 एवं दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के आदेश संख्या 2-1/2000-पी.एफ., तारीख 7 मार्च, 2000 क्रमशः जो व्यक्ति इन पदों पर स्थापित होगा वो इन नियमों के अनुसार नियुक्त माना जायेगा और उनकी इन नियमों के लागू होने से पहले की गई निरंतर सेवा को प्रोन्नति और परिवीक्षा की अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।
6. निरर्हता - वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
7. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. निम्न श्रेणी लिपिक।	19* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900 रुपये।	अचयन।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल

				<p>प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।</p>
--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
<p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो;</p> <p>(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>(प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)।</p>	<p>हाँ, स्तंभ 10 में दर्शायी गयी विस्तार-सीमा अनुसार।</p>	<p>सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।</p>	<p>(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती;</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर समूह 'ग' के ग्रेड वेतन 1800 रुपये के ऐसे कर्मचारियों में से भरी जायेगी, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा की पात्रता के लिये आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये 50 वर्ष);</p> <p>टिप्पण : यदि खंड (ii) के अधीन रिक्तियों से अधिक संख्या में कर्मचारी अर्ह होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर इस प्रकार विचार किया जायेगा जिससे पश्चातवर्ती वर्षों में परीक्षा से अर्ह होने वाले कर्मचारियों पर पहले विचार हो सके।</p> <p>(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिनकी 1800 रुपये ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा है।</p>

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 1800 रु. के वेतनमान की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और मैट्रिक परीक्षा पास की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

1	2	3	4	5	6
<p>2. उच्च श्रेणी लिपिक।</p>	<p>15* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।</p>	<p>वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये।</p>	<p>अचयन।</p>	<p>18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा</p>

				विज्ञापित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की गई है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।
--	--	--	--	---

7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

11	12	13
<p>प्रोन्नति :</p> <p>निम्न श्रेणी लिपिक तथा हिन्दी टंकक जिन्होंने वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 1900 रुपये में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रोन्नति पाने के लिये कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची उनके अपने अपने श्रेणी या पद के लिए विहित अर्हक सेवा को पूरा करने की तारीख के प्रतिनिदेश की तारीख से तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्ीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
3. लेखाकार।	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये।	अचयन।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

					<p>टिप्पण 1:— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2:— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की गई है, आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।</p>
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्याशाखा में बैचलर डिग्री, वाणिज्य अधिमानतः।</p> <p>वांछनीय : 1. रोकड़ और लेखा, स्थापन तथा प्रशासन कार्य का पांच वर्ष का अनुभव। 2. कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग का ज्ञान।</p>	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11	12	13
<p>प्रोन्नति : उच्च श्रेणी लिपिक, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 2400 रुपये में नियमित पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :</p> <ol style="list-style-type: none"> जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या उच्च श्रेणी लिपिक जिनकी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो। <p>टिप्पण 1:— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी या 	लागू नहीं होता।

<p>लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। 	
--	--	--

1	2	3	4	5	6
4.आशुलिपिक श्रेणी-II।	5* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये।	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा

					नहीं की गई है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
अनिवार्य : (i) किसीमान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास; (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम : श्रुतलेख : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर, प्रतिलेखन : 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी)(केवल कंप्यूटर पर)।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती टिप्पण :- पदधारी द्वारा एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां ऐसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।

11	12	13
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
5. कम्पाउंडर।	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये।	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

					टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की गई है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।
--	--	--	--	--	---

7	8	9	10
अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास; (ii) फार्मैसी में डिप्लोमा वांछनीय: सम्बद्ध क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण :- पदधारी द्वारा एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्त या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां ऐसे केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्त आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।

11	12	13
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
6. ज्येष्ठ हिन्दी टंकक।	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये।	अचयन।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

					टिप्पण 2:— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की गई है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
<p>अनिवार्य :</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में बैचलर डिग्री हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो;</p> <p>(ii) हिन्दी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति हो (केवल कंप्यूटर पर)।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) हिन्दी में धाराप्रवाहिता;</p> <p>(ii) कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा प्रौससिंग और नेटवर्किंग का ज्ञान।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता : हां।</p>	<p>सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति तथा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

11	12	13
<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसे हिन्दी टंकक और निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1 में, 5200-20200 रुपये ग्रेड वेतन 1900 रुपये में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) में यथा उल्लेखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 1:— प्रोन्नति के लिये पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद के लिए विहित अर्हक सेवा पूरी होने के प्रतिनिदेश की तारीख से तैयार की जायेगी।</p> <p>टिप्पण 2:— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3:— प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कृषि</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या 2. जिनकी निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित <p>टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
7. हिन्दी टंकक।	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900 रुपये।	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

					टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की गई है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास; (ii) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति (केवल कंप्यूटर पर)।	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 1800 रुपये के वेतनमान की श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा मैट्रिक परीक्षा पास हो ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
8. मल्टी टास्किंग स्टाफ।	84* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुनसचिवीय।	वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1800 रुपये।	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की गई है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।

7	8	9	10
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण :- पदधारी द्वारा एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्त या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां ऐसे केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्त आधार पर भरी जा सकेंगी जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।

11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता।

जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-	
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	— अध्यक्ष;
2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— सदस्य;
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	— सदस्य।

स्पष्टीकरण टिप्पण : ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। तथापि वर्तमान स्थिति में पदधारी की सेवा को नियमित किए जाने को ध्यान में रखते हुए नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 के भूतलक्षी रूप से प्रभावी होने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

[फा. सं. 13-4/2012-एम.एवं टी. (प्रशा.)]

बी. बी. भगत, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

G.S.R. 869 (E). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the:—

- (i) Southern Region, Farm Machinery Training and Testing Institute Anantpur, Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Stenographer Grade III, Compounder, Mali, Waterman, Peon, Safaiwala, Chowkidar-cum-Farm Mate, Daftry, Cook, Fieldman and Mate I;
- (ii) Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Department of Agriculture and Cooperation) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Stenographer Grade III, Compounder, Choudhary, Fieldman, Cook, Peon/Messenger, Safaiwala, Waterman, Chowkidar-cum-Farm Mate and Mali ;
- (iii) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, Anantapur (Andhra Pradesh) Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of Head Mali;
- (iv) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni, (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Stenographer Grade III, Compounder, Head Mali, Daftry, Cook, Peon, Waterman, Chowkidar-cum-Farm Mate, Mali and Safaiwala;
- (v) North-Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Biswanath Chariali, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Peon Messenger, Safaiwala and Chowkidar-cum-Farm Mate,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' non-technical posts in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Non-Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Initial Constitution.— The incumbents holding the posts of Accountant, Stenographer Grade-II, Senior Hindi Typist and Hindi Typist on regular basis in pursuance of North-Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Memoranda numbers 3-1/2003-Estt., dated the 24th July, 2003 and 1-6/92-Estt.-412, dated the 31st July, 2008, North-Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Memorandum number 1-9/2009-Estt., dated the 26th February, 2013, North-Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Memorandum number 3-9/2009-PF/824, dated the 24th August, 2010 and Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Order number 2-1/2000-PF, dated the 7th March, 2000, respectively, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the post immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for probation and promotion.

6. Disqualification.— No person.-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Lower Division Clerk.	19* (2014). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/-.	Non-selection	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th Class pass from a recognised Board; (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi, only on Computers. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated in column 10.	Two years' for direct recruits.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% from amongst the Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800/- and who possess 12 th Class pass certificate and have rendered three years' regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes); Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have rendered three years' regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800/-.

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff (Non-Technical) with three years' regular service in pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1800/- possessing matriculation certificate.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training ; - Chairman; Testing Institute (2) Under Secretary (Mechanisation - Member; and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation (3) Administrative Officer or Head of - Member. Office of Farm Machinery Training and Testing Institute Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1) Director, Farm Machinery Training - Chairman; and Testing Institute (2) Under Secretary (Mechanisation and - Member; Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation (3) Administrative Officer or Head of - Member. Office of Farm Machinery Training and Testing Institute	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Upper Division Clerk.	15* (2014). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-.	Non-selection.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's Degree from a recognised University.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion; (ii) 50% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Lower Division Clerk and Hindi Typist in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 1900/- with eight years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training</p>	Not applicable.

<p>probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay-scale extended based on the recommendations of the Commission.</p>	and Testing Institute	
--	-----------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Accountant	2* (2014). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-.	Non-selection.	<p>Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University, preferably with Commerce. Desirable:</p> <ol style="list-style-type: none"> Five years' of experience in handling cash and accounts, establishment and administration works; knowledge of computer application, data processing and net working. 	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation or absorption and failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Upper Division Clerk having five years' regular service in pay band-1, Rs.5200 – 20200/- with grade pay of Rs.2400/- . Deputation or absorption: Officers of the Central Government or State governments or Union Territory administrations: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in the grade of Upper Division Clerk . Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Stenographer Grade II.	5* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-.	Not applicable.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates

					in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass from a recognised Board; (ii) Skill Test Norms: Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute; Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (Only on Computer).	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organisations or universities or recognised research institutes, possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Compounder.	3* (2014). *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-.	Not applicable.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

	workload.				<p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).</p>
--	-----------	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential : (i) 12th Class pass from a recognised Board ; (ii) Diploma in Pharmacy.</p> <p>Desirable: Two years' experience in the relevant field.</p>	Not applicable.	Two years.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p>	Not applicable.

	(3) Administrative Officer or - Member. Head of the Office of Farm Machinery Training and Testing Institute	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Senior Hindi Typist.	1* (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400	Non-selection.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar, Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Bachelor's Degree from a recognised University in any subject with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; (ii) minimum typing speed of 30 words per minute in Hindi (only on Computer) Desirable : (i) Fluency in Hindi; (ii) knowledge of computer application, data processing and networking.	Age : No. Educational Qualification: Yes.	Two years' for direct recruits.	By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Hindi Typist and Lower Division Clerk in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 1900/- with eight years' regular service in the grade and possessing educational qualification as	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;	Not applicable.

<p>mentioned in column (7).</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay-scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government/State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi- Government or Autonomous or Statutory Organisations: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk.</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible</p>	<p>(3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	
---	---	--

<p>for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Hindi Typist.	1* (2014). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/-.	Not applicable.	Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh

					Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) 12 th Class pass from a recognised Board; (ii) minimum typing speed 30 words per minute in Hindi (only on Computer).	Age : No. Educational Qualification : Yes.	Two years for direct recruits.	By promotion, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Multi-Tasking Staff (Non Technical) having three years regular service in pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1800/- possessing matriculation certificate.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Multi-Tasking Staff (Non-Technical).	84 * (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable.	Between 18-25 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for

					<p>determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission, (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass from a recognised Board.	Not applicable.	Two years.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p>

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1 Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>2 Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Ministry of Agriculture - Member;</p> <p>3 Administrative officer / Head of the office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	Not applicable

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. However, rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the existing incumbents and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, no one is likely to be adversely affected.

[F. No. 13-4/2012-M&T (Admn.)]
B.B. BHAGAT, Under Secy.